

1. श्रीमती लीला पत्नी स्व. लखनलाल नगदे

2. रश्मि पिता लखनलाल नगदे

साकिन अम्बेडकर वार्ड टिकारी बैतूल तहसील जिला बैतूल

---अपीलार्थी

**बनाम**

1. नर्मदा प्रसाद पिता मौजी सोनपुरे

2. शिवजी पिता मौजी सोनपुरे

दोनो साकिन खापाखतेड़ा तह. आमला जिला बैतूल

3. शिवरती बाई पत्नी जुगु सराठे

निवासी मोहाली आमला जिला बैतूल

4. कमला पति अशोक सूरें

राजेन्द्र वार्ड बैतूल गंज, बैतूल जिला बैतूल

5. सरोज पति रामू टेटवार

साकिन - उमरिया तहसील जुन्नारदे जिला छिन्दवाड़ा

6. रामकली पति किशन लाल नगदे

साकिन बगडोना जिला बैतूल

---गैररिवीजनकर्ता

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

रिवीजनकर्ता की ओर से विनय है :-

यह कि यह रिवीजन न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 101अ6/12-13 में नर्मदा प्रसाद व अन्य विरुद्ध लीलाबाई व अन्य में पारित अंतरिम आदेश 24.04.13 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की है।

*AS*  
25/4

R. 1838-2/13 वृत्त

29/6/16

आवेदक के अधिवक्ता द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने के दिनांक 29/4/12 से आज दिनांक तक कोई उपाय नहीं। अतः आवेदक अधिवक्ता/आवेदक की प्रकाश में रुचि नहीं होने से प्रकाश अग्रिम में समाप्त किया जाता है।

अधिवक्ता

[क. प. उ.]